राजस्व वाद संख्या:– 198 / 2022
नरेन्द्र सिंह बनाम कलावती वगै0
निर्णय दिनांक:– 09.10.2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :–

दयानंद रूयल, **(आर.ए.एस.)**

राजस्व वाद सं.– 198 / 2022

नरेन्द्र सिंह पुत्र जयसिंह जाति राजपुत निवासी बड़बर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0।

– वादी

बनाम

1. कलावती पत्नी बैजनाम, जाति ब्राहमण, निवासी बड़बर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0।
2. कामेश कुमार पुत्र बैजनाम, जाति ब्राहमण, निवासी बड़बर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0।
3. रविदत्त पुत्र बैजनाम, जाति ब्राहमण, निवासी बड़बर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0।
4. शिवकुमार पुत्र बैजनाम, जाति ब्राहमण, निवासी बड़बर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0।
5. राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार सूरजगढ तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान

– प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत खाता विभाजन</u>

:: निर्णय ::

दिनांक –09.10.2023

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि–

(क) यह कि वाके ग्राम चौराडी अगुनी, जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 के खाता संख्या 195 के खसरा नम्बर 103 रकबा 0.84 है0 में वादी को 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर उक्तानुसार विभाजित कर अलग खसरा कायम किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश देवें।

(ख) यह कि अन्य कोई सिद्वि चाहे जाने से रह गई हो मुफीद वादी हो वादी के हक में दिये जाने के आदेश देने की कृपा करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तामिल जरिये सम्मन जारी की गयी। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 की ओर से वकील विकास कुमार ने इकबालिया जवाब पेश किया प्रतिवादी संख्या 5 को बार बार आवाज लगाई गई बावजूद तामील आवाज पर ना ही प्रतिवादी संख्या 5 उपस्थित हुआ ना ही उनकी और से कोई अधिवक्ता उपस्थित हुआ अतः प्रतिवादी के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। वादी वकील ने विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वाद को डिक्री किये जाने का निवेंदन किया गया है ।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख नकल जमाबंदी सं0 2074–77, नक्शा ट्रेस एवं

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

राजस्व वाद संख्या:— 198 / 2022
नरेन्द्र सिंह बनाम कलावती वगै0
निर्णय दिनांक:— 09.10.2023

विभाजन प्रस्ताव।

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। वकील वादी ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अनुसार दावा डिक्री किया जाने पर सहमति जाहिर की गई। अतः न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

—:: आदेश::—

न्यायालय वाद वादीगण डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि ख0न0 103 रकबा 0.84 है0 स्थित राजस्व ग्राम चौराडी अगुनी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान में तहसीलदार सूरजगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव कमांक भू0अ0 / 2023 / 1227 दिनांक 17.08.2023 के अनुसार वाद वादीगण डिकी किया जाता है । विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिकी का भाग रहेगा। उक्तानुसार ही तहसीलदार सूरजगढ़ को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है।

(दयानंद रुयल)
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 09.10.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

(दयानंद रुयल)
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ़

मूल वाद में (अन्तिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– दयानंद रूयल,(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.– 198/2022

निर्णय दिनांक :– **09-10-2023**

नरेन्द्र सिंह **बनाम** कलावती वगै0

दावा बाबत खाता विभाजन

वादी की ओर से **श्री राकेश योगी एड0** की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख **09.10.2023** को **दयानंद रूयल, उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादीगण डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि ख0न0 103 रकबा 0.84 है0 स्थित राजस्व ग्राम चौराडी अगुनी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान में तहसीलदार सूरजगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव कमांक भू0अ0/2023/1227 दिनांक 17.08.2023 के अनुसार वाद वादीगण डिकी किया जाता है । विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिकी का भाग रहेगा। उक्तानुसार ही तहसीलदार सूरजगढ़ को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **09.10.2023** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(दयानंद रूयल)
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ़